# उत्तर प्रदेश शासन

## राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-461/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.184-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(237)-2022

लखनऊः दिनांकः 20 जून, 2022

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 के साथ पठित धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जिन्हे प्ररूपजीएसटीआर-8 में विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित था, किन्तु वे उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित माह के लिए उक्त विवरण नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहे थे, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित अवधि के लिए, प्रतिवर्ष ब्याज की दर 'शून्य' अधिसूचित करती हैं, अर्थात्:-

सारणी

| क्र.सं | रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग | मास | वह अवधि जिसके लिए ब्याज शून्य होगी |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक, जो निम्नलिखित माल और सेवा कर पहचान संख्या रखते हैं, जो पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ के कारण नियत तारीख तक दिसंबर, 2020 माह के लिए उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल नही कर सके थे किन्तु उन्होंने उक्त माह के लिए धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन संग्रहित कर, इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित कर दिया था, अर्थात् :-<br>09AABCB3428P1CO<br>09AABCT1559M1C8<br>09AACCF0683K1CQ<br>09AADCD4946L1CJ<br>09AAECC3074B1CB<br>09AAICA3918J1CR | दिसंबर, 2020 | उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन संग्रहित कर इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित करने की तारीख से धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल करने की तारीख तक |

2. यह अधिसूचना तारीख 7 जून, 2022 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

20/6/22

(नितिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुख सचिव